[2021] 8 एस. सी. आर 720

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

वी.

मेसर्स अस्का इक्विपमेंट्स लिमिटेड

(2021 की सिविल अपील संख्या 6252)

08 अक्टूबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 - धारा 19-अपीलार्थी द्वारा ली गई वस्तुएँ-भुगतान के संबंध में विवाद

- प्रत्यर्थी के पक्ष में सुविधा परिषद द्वारा पारित पुरस्कार, अपीलार्थी ने रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 105,053,387 / - - आवेदन यू/दाखिल करके अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई धारा 34,1996 अधिनियम आर/डब्ल्यू एस। 19 - निर्देशित

एस के संदर्भ में प्रदत्त राशि का 75 प्रतिशत जमा करना। 19 - कई अवसर दिए गए-छूट के लिए आवेदन, खारिज-अपीलार्थी को उक्त राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया-चुनौती दी गई रिट याचिका खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः प्रदत्त राशि का 75 प्रतिशत पूर्व जमा के रूप में जमा करने की आवश्यकता अनिवार्य है।

नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अपीलार्थी को यह निर्देश देना उचित ठहराया कि - प्रदत्त राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करना-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 34.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 के एक सादे/निष्पक्ष पठन पर, उस समय/आवेदन पर विचार करने से पहले धारा 34 के तहत दिए गए पुरस्कार को अलग करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, आवेदक/अपीलार्थी को करना होगा

पुरस्कार के संदर्भ में राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करें। पुरस्कार के संदर्भ में राशि का 75 प्रतिशत पूर्व जमा के रूप में जमा करने की आवश्यकता अनिवार्य है। हालाँकि, एक ही समय में, उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जो पहले पेश की जा सकती हैं अपीलीय न्यायालय और यदि अपीलीय न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलार्थी/आवेदक को अनुचित कठिनाई होगी

प्रदत्त राशि का 75 प्रतिशत एक बार में पूर्व-जमा के रूप में जमा करने पर, न्यायालय पूर्व-जमा को किश्तों में करने की अनुमति दे सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), देहरादून दोनों को उचित ठहराया गया।

अपीलार्थी को अधिनिर्णीत राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करने का निर्देश देना। हालाँकि, 23.10.2019 पर वर्तमान कार्यवाही में नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को रुपये जमा करने का निर्देश दिया। 2,50,00,000 / - (दो करोड़ पचास लाख रुपये) और इस तरह की जमा राशि पर जिला और सत्र न्यायाधीश, देहरादून को फाइल पर अपील लेने और उसी के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था। यह बताया गया है कि अब तक आवेदन/अपील पर सुनवाई हो चुकी है और आदेश 12.10.2021 पर सुनाया जाना है। द.

दिनांकित 23.10.2019 आदेश के अनुसार व्यवस्था तब तक जारी है जब तक कि

एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 के साथ पठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील/आवेदन का अंतिम निपटान, जिसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। [पैरा 9.2,11 और 12] [724-डी-एफ; 725-जी-एच; 727-बी-सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6252

2021

2019 की रिट याचिका (एम. एस.) No.2708 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.09.2019 के निर्णय और आदेश से। अजय कुमार, पिनाकिन रावल, सुव्रत रे, आशीष चौबे, एड. अपीलार्थी के लिए।

जितेंद्र चौधरी, राजेश सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.09.2019 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

नैनीताल में रिट याचिका (एमएस) संख्या 2708/2019, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और 2018 के विविध आवेदन संख्या 150 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), देहरादून द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, जिसमें अपीलार्थी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (इसके बाद 'एमएसएमई अधिनियम, 2006' के रूप में संदर्भित) की धारा 19 के संदर्भ में सम्मानित राशि का 75 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था, अपीलार्थी ने इसमें-मूल अपीलार्थी/आवेदक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि पार्टियाँ एमएसएमई अधिनियम, 2006 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। भुगतान के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ माल जो अपीलार्थी द्वारा लिया गया था। धारा [2021] 8 एस. सी. आर. के तहत कार्यवाही।

18 एम. एस. एम. ई. अधिनियम, 2006 की शुरुआत हुई। सुविधा परिषद ने प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 10.11.2017 का एक पुरस्कार पारित किया और अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 105,053,387 / - (रु. केवल दस करोड़ पचास लाख पचास तीन हजार तीन सौ सत्तासी)।

3. उक्त पुरस्कार से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।

अपीलार्थी को अधिनिर्णीत राशि का 75 प्रतिशत जमा करना है। पूर्व-जमा की छूट के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), देहरादून ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को उक्त राशि जमा करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक महीने का समय दिया। 4. उक्त आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है। यहां तक कि रिट याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अधिनिर्णीत राशि का 75 प्रतिशत जमा करने के लिए आठ सप्ताह का और समय दिया।

5. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी यहाँ-मूल

आवेदक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 6. आज, जब वर्तमान अपील पर आगे की सुनवाई के लिए विचार किया जा रहा है, तो अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ने कहा

प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में 23.10.2019 पर नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को रु. 2,50,00,000/(रु. दो करोड़ पचास लाख) अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष और इस तरह की जमा राशि पर विद्वत अपीलीय न्यायालय को फाइल पर अपील लेने और उसी के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था। यह कहा गया है कि उक्त आदेश के अनुसार, अपीलार्थी ने रुपये की राशि जमा की है। 2,50,00,000 / - (रु. दो करोड़ पचास लाख) और उसके बाद विद्वान अपीलीय प्राधिकारी - अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), देहरादून ने एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 के साथ पठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील/आवेदन पर सुनवाई की है और आदेश 12.10.2021 पर सुनाया जाना है। इसलिए, वर्तमान अपील का निपटारा करने की प्रार्थना की जाती है।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि, इस प्रकार, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 के साथ अपील/आवेदन को प्राथमिकता दिए जाने के समय अधिनिर्णीत राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करना अनिवार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिसे एक-पक्षीय आदेश दिनांक 23.10.2019 के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया जाता है, वह दी गई राशि का 25 प्रतिशत भी नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपील में शामिल प्रश्न विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है और इसलिए वही है।

भविष्य के मार्गदर्शन के लिए भी इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

7.1 प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि, इस प्रकार, वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा गुडइयर इंडिया लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए अपीलार्थी के खिलाफ पूरी तरह से शामिल है। नॉर्टन इंटेक रबर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2012) 6

75 % क्योंकि पूर्व-जमा अनिवार्य है और अपीलीय न्यायालय के पास एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत जनादेश से हटने का कोई विवेकाधिकार नहीं होगा। 8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत कोई निर्णय दिखाने की स्थिति में नहीं है।

गुडइयर इंडिया लिमिटेड (ऊपर) का मामला। वह यह भी संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि क्या अपीलीय न्यायालय को मध्यस्थता और सुलह की धारा 34 के तहत अपील/आवेदन को प्राथमिकता देते हुए पूर्व-जमा के रूप में 75 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता से हटने का कोई विवेकाधिकार होगा।

एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 के साथ पढ़ा गया अधिनियम।

9. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में।

इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 के साथ पठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर अपील/आवेदन में, अपीलीय न्यायालय को पूर्व-जमा के रूप में दी गई राशि का 75 प्रतिशत जमा करने से विचलन करने का कोई विवेकाधिकार होगा?

9.1 एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 निम्नानुसार हैः

किसी डिक्री, पुरस्कार या अन्य आदेश को अलग करने के लिए आवेदन स्वयं परिषद द्वारा या किसी संस्था या केंद्र द्वारा बनाया गया

अपीलार्थी (आपूर्तिकर्ता नहीं होने के कारण) ने अपने पास सत्तर जमा किए हैं। डिक्री, पुरस्कार के संदर्भ में राशि का पाँच प्रतिशत

या, जैसा भी मामला हो, दूसरे क्रम में

इस तरह के न्यायालय द्वारा निर्देशितः

बशर्ते कि आवेदन के लंबित निपटान को अलग करने के लिए

डिक्री, पुरस्कार या आदेश, न्यायालय आदेश देगा कि ऐसा प्रतिशत

जमा की गई राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाएगा, जैसा कि वह समझता है। मामले की परिस्थितियों के अधीन, इस तरह के अधीन

शर्तें जो वह लागू करना आवश्यक समझती हैं।

(बोल्ड शब्द हमारे हैं)

9.2 एम. एस. एम. ई. अधिनियम, 2006 की धारा 19 के स्पष्ट/निष्पक्ष अध्ययन पर,

तथापि, एक ही समय में, उस कठिनाई पर विचार करते हुए जिसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि अपीलीय न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलार्थी/आवेदक को अनुचित कठिनाई होगी - प्रदत्त राशि का 75 प्रतिशत एक बार में पूर्व-जमा के रूप में जमा करने पर, न्यायालय पूर्व-जमा को किश्तों में करने की अनुमति दे सकता है।

10. इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया

गुडइयर इंडिया लिमिटेड (ऊपर) का मामला। पैराग्राफ 10 और 11 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

" 10. श्री रामचंद्रन ने अपनी प्रस्तुतियों में इसका उल्लेख किया है - विभिन्न निर्णय, जिनमें से सभी, हालांकि, के संदर्भ में हैं

ऐसे अधिनियम जिनमें विवेकाधिकार अपीलीय निकाय पर छोड़ दिया गया है

पूर्व-जमा राशि को या तो माफ करना या कम करना, कौन सा कारक वर्तमान मामले में अनुपस्थित है। हालाँकि, उनके तर्क के समर्थन में,

उन्होंने इस न्यायालय गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण V के निर्णय का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया।

मेसर्स अस्का इक्विपमेंट्स लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

स्नेहदीप स्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र लघु-पैमाना

उद्योग विकास निगम। लिमिटेड (2010) 3 एस. सी. सी. 34 जिसमें इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन को अपील माना जा सकता है, संयोग से एक प्रश्न उठा कि क्या इसे अपील के रूप में माना जाना था, क्या 2006 के अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा। उनके

लॉर्डशिप्स ने कहा कि प्रावधान, निस्संदेह, पूर्व-जमा की आवश्यकता है।

धारा 34 के तहत एक आवेदन के समक्ष किया जाना मध्यस्थता अधिनियम दायर किया गया है, लेकिन वे उस प्रावधान को प्रश्नगत प्रावधान में पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। उक्त मामले के तथ्य इस मामले के तथ्यों से अलग हैं और उपरोक्त मामले में निर्णय के अनुपात को इस मामले के तथ्यों में शामिल करना मुश्किल होगा।

11. याचिकाकर्ता की ओर से और उत्तरदाताओं की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं

अनुभाग के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में हस्तक्षेप करने का कारण

19 2006 के अधिनियम से। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि 2006 के अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों को केरल एस. आर. टी. सी. बनाम में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। संघ का भारत
[(2010) 1 के. एल. टी. 65], जहां समान प्रस्तुतियों को अस्वीकार कर दिया गया था और बाद में, मामला भी इस अदालत में आया, जब विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था,

दस सप्ताह की विस्तारित अवधि के भीतर, शामिल मामलों में पूर्व-जमा करें। हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि "ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से" अभिव्यक्ति, हमारे विचार में, अदालत को दिए गए विवेकाधिकार का संकेत देगी कि यदि आवश्यक लगे तो पूर्व-जमा को किश्तों में करने की अनुमति दी जाए।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 में उपयोग की गई भाषा और इसके उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करते हुए

पुरस्कार राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करते हुए, पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन/अपील को प्राथमिकता देते हुए, यह माना जाना चाहिए कि प्रदान की गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करने की आवश्यकता अनिवार्य है। इसलिए, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), देहरादून दोनों ने अपीलार्थी को अधिनिर्णीत राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करने का निर्देश देना उचित ठहराया।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, साथ ही, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 23.10.2019 पर वर्तमान कार्यवाही में ई जारी करते हुए, इस न्यायालय ने पारित किया

विंग क्रमः

" विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अपील में-गुजरात राज्य आपदा

गुजरात राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्रबंधन प्राधिकरण ने सुविधा परिषद द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार याचिकाकर्ता प्राधिकरण को पुरस्कार राशि का 75 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था।

फाइल पर अपील लेने के लिए सशर्त पूर्व-जमा।

राशि को पूर्व जमा करने के निर्देश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता-प्राधिकरण ने इस विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी है।

हमने श्री हुज़ेफ़ा अहमदी, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होना-प्राधिकरण, जिसने प्रस्तुत किया है कि

प्रत्यर्थी-आपूर्तिकर्ता को देय पूरी राशि का भुगतान पहले ही प्रत्यर्थी-आपूर्तिकर्ता को कर दिया गया है और इसलिए अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वारा प्रस्तुत तर्क विद्वान वरिष्ठ वकील मामले की योग्यता पर हैं।

तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता-प्राधिकरण एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, धारा के तहत अदालत में निहित विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए

उक्त अधिनियम के अनुसार, हम याचिकाकर्ता-प्राधिकरण को जमा करने का निर्देश देते हैं

प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करें। 1, 000/- रुपये (दो करोड़ पचास लाख रुपये) जमा करने पर, इसे स्वतः नवीनीकरण के साथ तीन महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में एक सावधि जमा में निवेश किया जाएगा ताकि यह सफल पक्ष के लाभ और संवितरण को सुनिश्चित कर सके।

उसी में से इस न्यायालय के आगे के आदेशों की प्रतीक्षा की जाएगी।

और अपीलार्थी को रुपये जमा करने का निर्देश दिया। 2,50,00,000 / - (रुपये करोड़ पचास लाख) और इस तरह की जमा राशि पर जिला और सत्र ई, देहरादून को फाइल पर अपील करने और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण v को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

मेसर्स अस्का इक्विपमेंट्स लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

उसी के साथ। यह बताया गया है कि अब तक आवेदन/अपील की सुनवाई हो चुकी है और आदेश 12.10.2021 पर सुनाया जाना है, हम मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत अपील/आवेदन में दिनांकित 23.10.2019 के आदेश के अनुसार व्यवस्था को जारी रखते हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), देहरादून जल्द से जल्द और विशेष रूप से 12.10.2021 पर आदेश सुनाएंगे, जिस तारीख को आदेश सुनाया जाना है, जैसा कि बताया गया है। 12. उपरोक्त के साथ, अपीलार्थी के खिलाफ पूछे गए प्रश्न का उत्तर उपरोक्त के संदर्भ में दिया जाता है और हम उपरोक्त के संदर्भ में कानून को निर्धारित करने वाली अपील का निपटारा करते हैं, हालांकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील/आवेदन के अंतिम निपटारे तक दिनांकित आदेश के अनुसार अंतरिम व्यवस्था जारी रखें, जिसे एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 के साथ पढ़ा जाता है, जिसे एक पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा।

अपील का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे